GrCMs 2026/46

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

राज्य सरकार बनाम हनुमन्त

.... नं. 46 सन् 2026

किस्म मुकदमा L.R.Act - 136

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/1/26	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 9/1/26 को पेश हो।	
9/1/26	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम गलाना के खाता संख्या 24 व 101 पर विरासत से पिता मूलचन्द के स्थान पर माता रम्मा का नाम दर्ज हुआ। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि रम्मा के पिता की आराजी से प्राप्त होने के कारण रम्मा के नाम थी। रम्मा की मृत्यु के बाद हनुमन्त, कजोड़ी लाल पुत्रान रम्मा दर्ज हो गया। अतः रम्मा के स्थान पर पिता का नाम मूलचन्द दुरूस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम गलाना के खाता संख्या 24 व 101 पर विरासत से पिता मूलचन्द के स्थान पर माता रम्मा का नाम दर्ज हुआ। उक्त भूमि रम्मा के पिता की आराजी से प्राप्त होने के कारण रम्मा के नाम थी। रम्मा की मृत्यु के बाद हनुमन्त, कजोड़ी लाल पुत्रान रम्मा दर्ज हो गया। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम गलाना के खाता सं0 24 व 101 में सभी खातेदारान की वल्दियत का नाम रम्मा के स्थान पर पिता का नाम मूलचन्द का नाम दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 9/1/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा) गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	